



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 301/ 2006

निर्णय तिथि: 13/03/08

याचिकाकर्ता:

1. कु. नूरजहाँ, आत्मज श्री मो. मुश्ताक, आयु 28 वर्ष, निवासी: शारदा भवन के पास, फैज़ नगर, तालापारा, बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थागण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)।
4. नगर पंचायत, गौरैला, द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, गौरैला, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत गौरैला, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।





(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

(एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री)


उपस्थिति:

- श्री इंद्रसेन साहू, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।
- श्री ए.एस. कच्छवाहा, उप महाधिवक्ता साथ में श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 की ओर से।
- श्री प्रकाश मिश्रा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 एवं 5 की ओर से।

मौखिक आदेश

(दिनांक 05 मार्च, 2008 को पारित)

1. याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से, आदेश दिनांक 12.01.2006 (संलग्नक पी/5) की विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा नगर पंचायत, गौरेला में उर्दू शिक्षा कर्मी श्रेणी-II के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चयन की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 अर्थात् कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.01.2006 (संलग्नक आर 1/7) को भी अपास्त करने की मांग की गई है।
2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह है कि विज्ञापन दिनांक 11.05.05 (संलग्नक पी/1) के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने उर्दू शिक्षा कर्मी श्रेणी-II के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का चयन किया गया और उसे आदेश दिनांक





17.06.05 (संलग्नक पी/3) के माध्यम से शासकीय माध्यमिक शाला, गौरैला में पदस्थ किया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.06.05 (संलग्नक पी/4) को शासकीय माध्यमिक शाला, गौरैला में उर्दू शिक्षा कर्मी श्रेणी-II के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

3. कलेक्टर, बिलासपुर ने श्री द्वारका प्रसाद सोनी द्वारा की गई शिकायत और तहसीलदार, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उर्दू शिक्षा कर्मी श्रेणी-II और श्रेणी-III के पद पर नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया विधि के अनुसार नहीं अपनाई गई थी और भर्ती प्रक्रिया पर रोक होने के बावजूद साक्षात्कार आयोजित किया गया था। तदनुसार, कलेक्टर, बिलासपुर ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 23/2005-06 में आदेश दिनांक 03.01.06 (संलग्नक आर 1/7) द्वारा चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी, गौरैला को विधि के अनुसार उर्दू शिक्षा कर्मी श्रेणी-II के पद पर नियुक्ति हेतु नवीन चयन प्रक्रिया संचालित करने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश दिनांक 12.01.06 (संलग्नक पी/5) पारित किया गया।

4. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर कर आक्षेपित आदेश दिनांक 12.01.06 (संलग्नक पी/5) और प्रत्यर्थी क्रमांक 3 अर्थात् कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.01.06 को अपास्त करने का निर्देश मांगा है।



5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रसेन साहू ने तर्क दिया कि एक बार जब याचिकाकर्ता को उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से उर्दू शिक्षा कर्मी श्रेणी-II के पद पर नियुक्त कर दिया गया है, तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता। आक्षेपित आदेश दिनांक 12.01.06 तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उस प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया था जो याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में तैयार किया गया था। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ए.एस. कच्छवाहा ने इसके विपरीत तर्क दिया कि श्री द्वारका प्रसाद सोनी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर, अपर कलेक्टर, पेंड्रा रोड ने दिनांक 08.06.05 (संलग्नक आर 1/2) को प्रत्यर्थी क्रमांक 4 को विधि के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संचालित करने का निर्देश दिया था, क्योंकि दिनांक 24.06.05 को श्री द्वारका प्रसाद सोनी और श्री मुरारी लाल अग्रवाल द्वारा शिकायत की गई थी। उर्दू शिक्षा कर्मी श्रेणी-II और श्रेणी-III की भर्ती प्रक्रिया की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी क्योंकि कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दिनांक 18.07.05 (संलग्नक आर 1/4) को, विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने





सभी आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को पत्र लिखकर उर्दू शिक्षा कर्मों के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को तत्काल रोकने का निर्देश दिया था।

7. विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ए.एस. कच्छवाहा ने आगे यह तर्क दिया कि यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जबकि कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक आदेश पारित करते समय यह बुनियादी आवश्यकता होती है। हालांकि, चयन की पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, इसलिए चयन सूची और उसके आधार पर की गई नियुक्ति को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया गया।

8. यह पाया गया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के आदेश दिनांक 18.07.05 के विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 और 5 ने भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और याचिकाकर्ता को उर्दू शिक्षा कर्मों श्रेणी-II के पद पर नियुक्त किया। चयन समिति में, खंड शिक्षा अधिकारी के स्थान पर, सहायक परियोजना अधिकारी को रखा गया था। तहसीलदार का एक प्रतिवेदन (संलग्नक आर 1/5) अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने बदले में दिनांक 05.12.05 (संलग्नक आर 1/6) को कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.) को प्रतिवेदन भेजा, जिसमें यह अवलोकन किया गया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 4 और 5 ने विधि के अनुसार भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और भर्ती प्रक्रिया पर रोक के बावजूद,



साक्षात्कार की कार्यवाही की और याचिकाकर्ता को उर्दू शिक्षा कर्मी श्रेणी-II के पद पर नियुक्त किया।

9. प्रत्यर्थी क्रमांक 4 और 5 ने कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं करने और सुनवाई के दौरान कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करने का विकल्प चुना है।
10. जो भी हो, वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी गई थी। उसने छह महीने से अधिक समय तक कार्य किया, अतः वह सुनवाई के अवसर की हकदार है जो कि नैसर्गिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत और कार्य में निष्पक्षता की कसौटी है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्रवण कुमार झा एवं अन्य विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य¹** के प्रकरण में, जहाँ शिक्षकों की नियुक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना निरस्त कर दिया गया था, निम्नानुसार अवलोकन किया:

"इन सभी प्रश्नों में जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारा यह मत है कि अपीलार्थियों को उनकी नियुक्तियां रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। स्वीकार्य रूप से, उन्हें ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। यह सुस्थापित है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना अपीलार्थी के अहित में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।"

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **डी.के. यादव विरुद्ध जे.एम.ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य²** के प्रकरण में, सुनवाई के अवसर की अवधारणा पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया :

1 AIR 1991 SC 310

2 1993 (3) SCC 259



"प्रत्येक प्रकरण में मुख्य बिंदु जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह है कि क्या संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए और प्राधिकारी को निष्पक्ष, न्यायसंगत, उचित और तटस्थ रूप से कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग कि किसी भी व्यक्ति को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकने की मंशा रखता है। यह विधि का एक मौलिक नियम है कि कोई भी निर्णय जो किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करता हो, उसे प्रकरण की सूचना दिए बिना और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नहीं लिया जाना चाहिए। सिविल परिणामों वाले आदेश को नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इसलिए, कार्य में निष्पक्षता की मांग है कि अपनाई गई प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। शक्ति के प्रयोग की रीति और प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों पर उसका प्रभाव, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो।"

13. उक्त सिद्धांत की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **वासुदेव तिवारी**

विरुद्ध सिद्ध कान्हू विश्वविद्यालय एवं अन्य³ के प्रकरण में की गई है, जिसमें

यह निर्धारित किया गया है कि:

"यह विधि स्थापित है कि गैर-मनमानापन अनुच्छेद 14 का एक अनिवार्य पहलू है जो अनुच्छेद 14 द्वारा शासित राज्य की कार्यवाही के संपूर्ण क्षेत्र को अग्रसरित करता है। इसके परिणाम स्वरूप यह स्थापित हो गया है कि नैसर्गिक न्याय का 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (दूसरे पक्ष को भी सुनो) पहलू भी अनुच्छेद 14 की एक आवश्यकता है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय मनमानापन का विलोम है। लोक नियोजन के क्षेत्र में यह सुस्थापित है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध की गई कोई भी कार्यवाही निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए जो निष्पक्ष व्यवहार के घटक हैं। किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने की



पूर्ण शक्ति प्रदान करना निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित व्यवहार का विलोम है।"

14. इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक एवं अन्य विरुद्ध देबाशीष दास एवं अन्य⁴ और

केनरा बैंक विरुद्ध वी.के. अवस्थी⁵ के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने

निम्नानुसार अवलोकन किया:

"प्रथम और सर्वोपरि सिद्धांत वह है जिसे सामान्यतः 'ऑडी अल्टरम पार्टम' नियम के रूप में जाना जाता है। यह कहता है कि किसी को भी अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। सूचना देना, इस सिद्धांत का पहला अंग है। यह सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। इसे पक्षकार को उस प्रकरण से निर्णायक रूप से अवगत कराना चाहिए जिसका उसे सामना करना है। इस उद्देश्य के लिए दिया गया समय पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह अपना पक्ष रखने में सक्षम हो सके। इस प्रकार की सूचना और ऐसे उचित अवसर के अभाव में, पारित आदेश पूरी तरह से दोषपूर्ण हो जाता है। अतः, यह अनिवार्य है कि किसी भी प्रतिकूल आदेश को पारित करने से पहले पक्षकार को प्रकरण की सूचना दी जाए। अंततः यह निष्पक्षता का एक अनुमोदित नियम और नैसर्गिक न्याय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है।"

15. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर सुस्थापित विधिक सिद्धांतों को लागू करने

पर, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश जारी करके याचिकाकर्ता का पक्ष सुने बिना

दंडित किया गया है। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की कार्रवाइयां नैसर्गिक न्याय के

सुस्थापित सिद्धांतों और कार्य में निष्पक्षता के विपरीत हैं।

16. उपरोक्त के आलोक में, आक्षेपित आदेश दिनांक 12.01.06 (संलग्नक

पी/5) और 03.01.06 (संलग्नक आर 1/7) को अपास्त किया जाता है।

याचिका स्वीकार की जाती है। हालांकि, राज्य प्राधिकारी, यदि उचित समझें, तो

4 2003 (4) scc 557

5 2005 (6) scc 321



विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उचित कार्रवाई कर सकते हैं। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

